

सं.2020/टेली/6(3)/2(फाइबरमेंट)(3318459)

नई दिल्ली, दिनांक: 22.02.2021

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

दूरसंचार परिपत्र सं. 02/2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए आरसीआईएल को देय आनुपातिक फाइबर रखरखाव शुल्क।

संदर्भ: (i) रेलवे बोर्ड का दिनांक 12.01.2018 का पत्र संख्या 2011/टेली/6(3)/2 पं. (दूरसंचार परिपत्र संख्या 02/2018)।

(ii) रेलवे बोर्ड के दूरसंचार परिपत्र संख्या 03/2017 और 04/2017।


रेल मंत्रालय की एतद्वारा क्षेत्रीय रेलवे द्वारा आरसीआईएल को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रेलटेल को 137.10 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति माह प्रति जोड़ी फाइबर + जीएसटी और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 143.00 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति माह प्रति जोड़ी फाइबर + जीएसटी की दर से देय आनुपातिक फाइबर रखरखाव शुल्क के भुगतान की मंजूरी दी जाती है। संदर्भाधीन उपरोक्त (ii) के अंतर्गत दूरसंचार परिपत्र का, अनुरक्षण प्रभारों के भुगतान की प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए, संशोधित होने तक, पालन किया जाएगा।

2. आरसीआईएल को उपरोक्त अनुमोदित दरों के आधार पर भुगतान किया जाएगा एवं भुगतान का समायोजन, यदि कोई हो, आगामी अनुमोदन के बाद किया जाएगा।

3. यदि शुल्कों के उपरोक्त संशोधन के कारण कोई बकाया होता है, तो उसका भुगतान भी आरसीआईएल को शीघ्र किया जा सकता है।

4. इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5. कृपया पावती दें।


(धर्मेन्द्र सिंह)
निदेशक/दूरसंचार
रेलवे बोर्ड

सं.2020/टेली/6(3)/2(फाइबरमेंट)(3318459)

नई दिल्ली, दिनांक: 22.02.2021

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।


कृते सदस्य (वित्त)/ रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त (व्यय)-1 और बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
2. मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरसीआईएल), प्लॉट-ए, छठी मंजिल, ऑफिस टॉवर-2, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली – 110023.